रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 1986/भाद्र 4, 1908
No. 398] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 1986/BHADRA 4, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1986

अधिसूचना

सा. का. नि. 1045(अ) :—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर 1 सितम्बर, 1986 से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की एतद्द्वारा स्थापना करती है जोकि इस अधिनियम के खण्ड 3 की धारा (ग) के प्रयोजन से "नियत दिन" होगा।

[संख्या ए.-11019/28/85-ए. टी.]
पी. जी. केले, निदेशक

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 26th August, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 1045 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government, on receipt of a request in this behalf from the Government of Himashal Pradesh, hereby establishes the Himachal Pradesh Administrative Tribunal with effect from the 1st day of September, 1986 which shall be the 'appointed day' within the meaning of clause (c) of section 3 of the Act.

[A-11019|28|85-AT]
P. G. LELE, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 1986/भाद्र 4, 1908
No. 398] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 1986/BHADRA 4, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1986

अधिसूचना

सा. का. नि. 1045(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर 1 सितम्बर, 1986 को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की एतद्द्वारा स्थापना करती है जोकि इस अधिनियम के खण्ड 3 की धारा (ग) के प्रयोजन से "नियत दिन" होगा।

[संख्या ए.-11019/28/85-ए. टी.]
पी. जी. झेले, निदेशक

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 26th August, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 1045 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government, on receipt of a request in this behalf from the Government of Himashal Pradesh, hereby establishes the Himachal Pradesh Administrative Tribunal with effect from the 1st day of September, 1986 which shall be the 'appointed day' within the meaning of clause (c) of section 3 of the Act.

[A-11019|28|85-AT]
P. G. LELE, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986